भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 756**

उत्तर देने की तारीख 21 नवम्बर, 2019

30 कार्तिक, 1941 (शक)

# आर॰जी॰एन॰आई॰वाई॰डी॰ में उपाध्यक्ष का पद भरा जाना

**756. डॉ. टी॰ सुमति (ए॰) तामिझाची थंगापंडियनः**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर॰जी॰एन॰आई॰वाई॰डी॰) में उपाध्यक्ष के पद को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मानद विश्वविद्यालय के रूप में अपनी गतिविधियों के संबंध में किसी भी प्रशासनिक और खामियों संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा आर॰जी॰एन॰आई॰वाई॰डी॰ के विकास के लिए और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) और (ख) : राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर॰जी॰एन॰आई॰वाई॰डी॰) अधिनियम की धारा 12(2)(ख) के अनुसार उपाध्यक्ष को विजिटर (अर्थात भारत के राष्ट्रपति) द्वारा मनोनीत किया जाता है । मंत्रालय को इस दौरान सीधे आवेदनों सहित अनेक आवेदन प्राप्त हुए परन्तु किसी भी अभ्यर्थी को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया । इस पद को भरने की कार्रवाई विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) : जी नहीं । आर॰जी॰एन॰आई॰वाई॰डी॰ राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और इसके समक्ष कोई भी बड़े प्रशासनिक मुद्दे नहीं है ।

(ङ) आर॰जी॰एन॰आई॰वाई॰डी॰ की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आर॰जी॰एन॰आई॰वाई॰डी॰ को भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में बजटीय सहायता प्राप्त हो रही है ।

****